

128

राजस्थान सरकार  
निर्वाचन विभाग

S.No. F.9(1)(7)III-A/Elec./M-1-EVM2022-23/ 273

Date: 13.1.23

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
जयपुर, राजस्थान।


प्रेषिती:- Heritage Transport Organisation  
P-3 New C.I.T Road (1st floor)  
Kolkata 700073

विषय:- For Transporting/ delivering M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) from Bihar & West Bengal to different districts of Rajasthan"

प्रसंग:- विभागीय निविदा क्रमांक 10199 दिनांक 30.11.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय निविदा "For Transporting/ delivering M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) from Bihar & West Bengal to different districts of Rajasthan" के संबंध में निविदा में प्राप्त न्यूनतम Package दर के आधार पर, निविदा प्रपत्र के **Clause D**, पृष्ठ संख्या 15, एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के तहत निम्नानुसार कार्यदेश दिया जाता है-


1. निविदा प्रपत्र में दिए गए scope and requirement, specifications of containers के अनुसार M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) को West Bengal के निर्धारित स्थानों से प्राप्त कर राजस्थान राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाएगा उक्त स्थानों के पता मय विवरण location उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. West Bengal के निर्धारित स्थानों से राजस्थान के निर्धारित स्थानों तक ट्रांसपोर्टेशन कार्य का भुगतान राशि रुपये 41,56,550 सभी कर सहित दिया जाएगा।
3. निविदा अनुसार West Bengal से कुल 82806 M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) फर्म द्वारा प्राप्त कर राजस्थान के विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों को deliver की जाएगी। फर्म को दी गयी सूची अनुसार संबंधित जिला कार्यालयों से सम्पर्क कर कार्य सम्पादन करना होगा।
4. निविदा शर्तों के अनुसार कंटेनर में ड्राइवर (Commercial Driving License के साथ) एवं दो हैल्वर उपलब्ध कराये जायेंगे
5. फर्म को M-3 EVM Machines के ट्रांसपोर्टेशन हेतु निर्वाचन विभाग (मुख्यालय) से समय सारणी एवं निर्धारित कार्यक्रम के निर्देश उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
6. निविदा प्रपत्र में दिए गए निर्देशों, उक्त कार्यदेश एवं अनुबंध अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। निर्वाचन विभाग द्वारा कार्य सम्पादन हेतु दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदा के अनुसार सभी वाहनो में GPS उपलब्ध होगा एवं फर्म द्वारा प्रति वाहन GPS रिपोर्ट समय-समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी साथ ही वाहन की ट्रैकिंग हेतु मोबाइल एप/पोर्टल की सूचना भी फर्म द्वारा इस विभाग को उपलब्ध करवायी जावेगी।
8. West Bengal के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मशीनों की संख्या के संबंध में प्राप्ति रसीद फर्म द्वारा प्राप्त की जाएगी जिसकी प्रति फर्म के पास उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार फर्म द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों को मशीनों की Delivery के बाद Acknowledgement receipt प्राप्त की जाएगी। उक्त रसीदों की एक-एक प्रति बिल के साथ इस विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।



172

9. निर्धारित अवधि पर कार्य सम्पन्न नहीं होने पर निविदा में किए गए प्रावधान अनुसार शासित देय होगी।
10. M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) Transportation के संबंध में संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों को भी निर्देश दिये जा रहे हैं जिसकी प्रति फर्म को उपलब्ध करायी जाएगी।
11. M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) Transport हेतु छोटे/बड़े आकार के कंटेनर का प्रयोग मशीनों की संख्या व आकार के अनुसार किया जाएगा।
12. Destination of Sender States तथा मशीनों को प्राप्त करने वाले राजस्थान के जिला निर्वाचन कार्यालयों व मशीनों की संख्या का विवरण संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध है।
13. निविदा में वर्णित उक्त कार्य दिनांक 23.01.2023 से प्रारंभ करना होगा।
14. आवश्यकतानुसार फर्म निर्वाचन विभाग मुख्यालय के नोडल अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समन्वय बनाते हुए कार्य सम्पादित करावें।
15. फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित नियम/शर्तों के अनुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेगी।
16. कृपया कार्य हेतु सहमति के साथ राशि रूपयें 500/- गैर न्यायिक Stamp paper पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर 2 दिवस में प्रेषित करावें।

उक्तानुसार ईवीएम/वीवीपेट मशीनों के परिवहन/स्थानान्तरण का समस्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत संपादित किया जावेगा।


  
(कृष्ण कुणाल)  
अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
निर्वाचन विभाग, जयपुर

S.No. F.9(1)(7)III-A/Elec./M-1-EVM2022-23/ 273

Date: 13.1.23

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, West Bengal
3. निजी सचिव अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग।
5. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी,
6. स्टोर शाखा

  
वित्तीय सलाहकार

174

राजस्थान सरकार  
निर्वाचन विभाग

S.No. F.9(1)(7)III-A/Elec./M-1-EVM2022-23/ 274

Date: 13-1-23

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
जयपुर, राजस्थान।

प्रेषित:- Shree Jain Bandhu Roadlines  
Shop No. 1 Patwari colony  
Near Jolda Power House  
Sikar Road, Jaipur 302013

विषय:- For Transporting/ delivering M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) from Bihar & West Bengal to different districts of Rajasthan"

प्रसंग:- विभागीय निविदा क्रमांक 10199 दिनांक 30.11.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय निविदा For Transporting/ delivering M3 VVPAT and EVM (BU & CU machines) from Bihar & West Bengal to different districts of Rajasthan" के संबंध में निविदा में प्राप्त न्यूनतम Package दर के आधार पर, निविदा प्रपत्र के **Clause D**, पृष्ठ संख्या 15, एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के तहत निम्नानुसार कार्यदेश दिया जाता है-

1. निविदा प्रपत्र में दिए गए scope and requirement, specifications of containers के अनुसार M3 VVPAT and EVM (CU machines) को Bihar राज्य के निर्धारित स्थानों से प्राप्त कर राजस्थान राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाएगा उक्त स्थानों के पता मय विवरण location उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. Bihar के निर्धारित स्थानों से राजस्थान के निर्धारित स्थानों तक ट्रांसपोर्टेशन कार्य का भुगतान राशि रुपये 22,43,450 सभ्य कर सहित दिया जाएगा।
3. निविदा अनुसार Bihar से कुल 32408 M3 VVPAT and EVM (CU machines) फर्म द्वारा प्राप्त कर राजस्थान के विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों को deliver की जाएगी। फर्म को दी गयी सूची अनुसार संबंधित जिला कार्यालयों से सम्पर्क कर कार्य सम्पादन करना होगा।
4. निविदा शर्तों के अनुसार कंटेनर में ड्राइवर (Commercial Driving License के साथ) एवं दो हैल्पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. फर्म को M-3 EVM Machines के ट्रांसपोर्टेशन हेतु निर्वाचन विभाग (मुख्यालय) से समय सारणी एवं निर्धारित कार्यक्रम के निर्देश उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
6. निविदा प्रपत्र में दिए गए निर्देशों, उक्त कार्यदेश एवं अनुबंध अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। निर्वाचन विभाग द्वारा कार्य सम्पादन हेतु दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदा के अनुसार सभी वाहनो में GPS उपलब्ध होगा एवं फर्म द्वारा प्रति वाहन GPS रिपोर्ट समय-समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी साथ ही वाहन की ट्रेकिंग हेतु मोबाईल एप/पोर्टल की सूचना भी फर्म द्वारा इस विभाग को उपलब्ध करवायी जावेगी।
8. Bihar के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मशीनों की संख्या के संबंध में प्राप्ति रसीद फर्म द्वारा प्राप्त की जाएगी जिसकी प्रति फर्म के पास उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार फर्म द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों को मशीनों की Delivery के बाद Acknowledgement receipt प्राप्त की जाएगी। उक्त रसीदों की एक-एक प्रति बिल के साथ इस विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

13/01/23

75

9. निर्धारित अवधि पर कार्य सम्पन्न नहीं होने पर निविदा में किए गए प्रावधान अनुसार शास्ति देय होगी।
10. M3 VVPAT and EVM (CU machines) Transportation के संबंध में संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों को भी निर्देश दिये जा रहे हैं जिसकी प्रति फर्म को उपलब्ध करायी जाएगी।
11. M3 VVPAT and EVM (CU machines) Transport हेतु छोटे/बड़े आकार के कंटेनर का प्रयोग मशीनों की संख्या व आकार के अनुसार किया जाएगा।
12. Destination of Sender States तथा मशीनों को प्राप्त करने वाले राजस्थान के जिला निर्वाचन कार्यालयों व मशीनों की संख्या का विवरण संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध है।
13. निविदा में वर्णित उक्त कार्य दिनांक 23.01.2023 से प्रारंभ करना होगा।
14. आवश्यकतानुसार फर्म निर्वाचन विभाग मुख्यालय के नोडल अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समन्वय बनाते हुए कार्य सम्पादित करावें।
15. फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित नियम/शर्तों के अनुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेगी।
16. कृपया कार्य हेतु सहमति के साथ राशि रुपये 500/- गैर न्यायिक Stamp paper पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर 2 दिवस में प्रेषित करावें।

उक्तानुसार ईवीएम/वीवीपेट मशीनों के परिवहन/स्थानान्तरण का समस्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत संपादित किया जावेगा।

(कृष्ण कुर्मील)  
अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
निर्वाचन विभाग, जयपुर

S.No. F.9(1)(7)III-A/Elec./M-1-EVM2022-23/ 274

Date: 13.1.23

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, Bihar
3. निजी सचिव अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग।
5. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी,
6. स्टोर शाखा।

वित्तीय सलाहकार